राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
Rajasthan State Power Finance Corporation Limited

प्रगति प्रतिवेदन
2012-13
(21.12.2012 से 20.02.2013)

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

1. पृष्ठभूमि (Back Ground)

- राज्य में वर्तमान में 5 विद्युत कम्पनियाँ हैं, जिनके द्वारा अपने कार्यकलापों के लिये विभिन्न वित्तीय कम्पनियों, जैसे PFC, REC, SIDBI, LIC एवं HUDCO से तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिये जाते हैं।

- गत वर्ष से राज्य की विद्युत कम्पनियों, विशेष रूप से वितरण कम्पनियों को वित्तीय संसाधन अर्जित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, जिसमें राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्रफल होना, काश्तकारों का भूमिगत जल पर बहुत अधिक निर्भर होना एवं वर्षा की कमी तथा सतही जल की बहुत कम उपलब्धता होने के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रही। राज्य में विद्युत की माँग की तुलना में उत्पादन कम होने के कारण अन्य स्त्रोतों से तुलनात्मक रूप से अधिक दरों पर विद्युत की खरीद कर कृषि क्षेत्र में आपूर्ति करने के परिणामस्वरूप इन कम्पनियों पर अधिक वित्तीय भार रहा हैं। इस हेतु कपितय अन्य राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडू में विद्युत क्षेत्र हेतु संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य स्तर पर अलग से Power Finance Corporation गठित किये गये है।

- वितरण कम्पनियों के भारी वित्तीय घाटे को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन कम्पनियों के सुदृढीकरण एवं वित्तीय पुनर्संरचना हेतु गत वर्ष कार्ययोजना तैयार की गई! गत वर्ष अगस्त, 2011 के पश्चात बैंकों द्वारा वितरण कम्पनियों को ऋण स्वीकृत करना बंद करने के कारण इन कम्पनियों के सम्मुख गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। इस संकट से निपटने के लिये राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा 19 अक्टूबर, 2011 को लिये गये निर्णयों के पश्चात ऊर्जा विभाग द्वारा Rajasthan Power Sector Financial Restructuring Plan (FRP) तैयार किया गया।

- वर्ष 2012 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत कम्पनियों हेतु वित्तीय पुनर्संरचना योजना तैयार कर राज्यों को भेजा गया जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा सिद्धान्तः सहमति दी गई।

- राज्य के वितरण निगमों के बड़ी मात्रा में बकाया अल्पकालीन ऋणों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर भी विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के दौरान वितरण कम्पनियों के बकाया

ऋणों में से 50 प्रतिशत राशि बॉण्ड्स के माध्यम से उपलब्ध कराने अथवा आगामी 3 वर्षो में वितरण कम्पनियों द्वारा उपयुक्त राशि के बॉण्ड्स जारी करने का प्रस्ताव दिया गया। इन बॉण्ड्स के ब्याज का 50 प्रतिशत भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन प्रस्तावों में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance Corporation Limited) के गठन के बाद वितरण कम्पनियों को इस निगम के माध्यम से भी ऋण सुलभ कराया जा सकेगा।

2. **परिचय** (Introduction)

- वितरण कम्पनियों की वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु एक अतिरिक्त स्त्रोत राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम, लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance Corporation Limited) का गठन किया गया जिसके माध्यम से सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर विद्युत कम्पनियों को उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

- यह उपक्रम राज्य सरकार के अधीन है। जिसकी अधिकृत अंशपूंजी 250 करोड़ रुपये होगी। वर्तमान में इसकी प्रदत्त पूँजी 15.00 करोड़ रुपये है। इस कॉरपोरेशन का पंजीकरण कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत 21 दिसम्बर, 2012 को किया गया हैं तथा यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) के रूप में कार्य करेगा।

- मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के द्वारा राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

3. **उद्देश्य** (Objective)

- विद्युत उत्पादन/ प्रसारण/ वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु सीधे तौर पर परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की साझेदारी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।

- विद्युत उत्पादन प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों की केबल्स, ट्रांसफॉरमर्स, कन्डक्टर्स, उपकरण एवं मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।

- राज्य मे स्थापित विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना एवं इन्हें underwrite करना।

- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, शेयर्स अथवा पूंजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।

- संसाधन विकसित करने की दृष्टि से स्वयं अथवा अन्य किसी कम्पनी के साथ Property Development and Management का कार्य करना।

- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों, जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि जिसका उपयोग विद्युत परियोजनाओं के ईंधन के रूप में किया जाना है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।

- राज्य की विद्युत कम्पनियों हेतु आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाना एवं परामर्शीय–सेवाएं (consultancy services) उपलब्ध करवाना।

4. संसाधन (Recourses)

- राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्थाओं, कम्पनी इत्यादि से ब्याज पर या अन्यथा ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगी। यह कम्पनी स्थाई अथवा अस्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद फरोख्त कर सकेगी, जो कि कम्पनी के हित में होगा। यह कम्पनी शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेन्चर्स, बॉण्ड्स एवं अन्य पराक्रम्य विलेखों (negotiable instruments) भी निवेश कर सकेगी।

- कम्पनी के संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा ताकि उगाहे गये ऋण को ब्याज दर में बिना अधिक वृद्धि के कम्पनी द्वारा विद्युत निगमों को उपलब्ध कराया जा सके। इस कम्पनी को कार्यशील पूंजी हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रथम पाँच वर्ष तक कम्पनी का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।

- राज्य सरकार द्वारा इस कम्पनी को, एक सुदृढ़ सम्पत्ति आधार (asset base) तैयार करने की दृष्टि से, निःशुल्क भूमि/अचल सम्पत्ति उपलब्ध करवाई जायेगी, जो कि भविष्य में जब कम्पनी बाजार से संसाधन प्राप्त करेगी तब एक प्रकार की प्रतिभूति रहेगी। जब भी जिला कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय निकाय या राजकीय उपक्रम को भूमि आवंटित की जाती है, तब उक्त आवंटित भूमि की 10 प्रतिशत के बराबर की भूमि आवश्यक रूप से राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड (State Power Finance Corporation Limited) को आवंटित करनी होगी। घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों तथा विश्वविद्यालयों इत्यादि के पास जो अधिशेष भूमि होगी उसका मूल्यांकन करवाकर इन उपक्रमों की

वित्तीय पुनर्संरचना की दृष्टि से कम्पनी को स्वेच्छा से हस्तान्तरित करने के बदले वित्त विभाग द्वारा उस संस्था को वित्तीय पुनर्उत्थान पैकेज मंजूर किया जा सकेगा। ऐसी नजूल सम्पत्तियाँ जो खाली पड़ी है, उनका स्थानान्तरण भी जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड को किया जा सकेगा।

- प्रस्तावित कम्पनी द्वारा विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ–साथ विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन के अधिकार भी इस कम्पनी को दिये जायेंगे। साथ ही इस कम्पनी को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु कतिपय खनिजों पर भूमि कर (land tax) तथा उपकर (cess) लगाया जा सकेगा।

- प्रस्तावित कम्पनी को नियमित आय का स्त्रोत उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कतिपय करों/उपकर से प्राप्त होने वाली आय का एक हिस्सा कम्पनी को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय वस्तुओं पर उपकर लगाकर प्रस्तावित कम्पनी हेतु नियमित आय उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

5. निदेशक मण्डल (Board of Directors)

- कम्पनी के संचालन हेतु एक निदेशक मण्डल गठित किया गया है जिसमें अध्यक्ष के अलावा 11 निदेशक होंगे। कम्पनी के प्रथम निदेशक मण्डल में प्रमुख शासन सचिव, वित्त, अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल में तीनों वितरण कम्पनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, वित्त सचिव (राजस्व), सचिव ऊर्जा, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) तथा वित्त सचिव (बजट), प्रबन्ध निदेशक सम्मिलित हैं। निदेशक मण्डल इस प्रकार हैं:–

  - डॉ. गोविन्द शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
  - श्री खेमराज चौधरी, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
  - श्री तन्मय कुमार, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
  - श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
  - श्री नरेश पाल गंगवार, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
  - श्री हेमन्त कुमार गेरा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
  - श्री कुंजी लाल मीणा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
  - श्री सुरेश चन्द्र दिनकर, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग

6. **संगठनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचा** (Organisational and Administrative Structure)

- कॉरपोरेशन के संचालन हेतु आवश्यक पदों का सृजन कर कार्य आरम्भ कर दिया गया हैं। कॉरपोरेशन में **banking, finance, asset management, power** आदि के विशेषज्ञ भी रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकोष्ठों में विभिन्न पदों पर राज्य सरकार के कर्मचारी एवं सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है:–

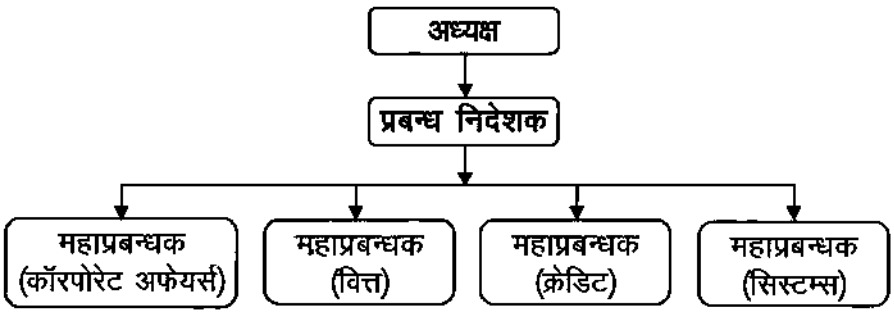

7. **दूरभाष निर्देशिका** (Telephone Directory)

- डॉ. गोविन्द शर्मा, अध्यक्ष 0141-2227664
- श्री अखिल अरोरा, प्रबन्ध निदेशक 0141-2227934
- श्री सुरेश गुप्ता, महाप्रबन्धक (वित्त) 0141-2227468
- श्री अरविन्द मिश्रा, महाप्रबन्धक (क्रेडिट) 0141-2744805
- श्री अकुल भार्गव, महाप्रबन्धक (सिस्टम्स) 0141-2227094

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

Rajasthan State Power Finance Corporation Limited